शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

एन्टी रैगिंग समिति

प्रगति प्रतिवेदन

2015 - 2020

प्रभारी - डॉ. पुष्पा करवाल

सदस्य - डॉ. विनिता महोबिया

सदस्य - डॉ. सुषमा मेहरा

एन्टी रैगिंग समिति

रैगिंग विद्यालय व महाविद्यालयों में बढ़ रही अनुशासनहीनता का स्वरूप है, यह एक मानसिक विकृति भी है, जिस कारण से प्रतिवर्ष स्कूलों और महाविद्यालयों में कई छात्रों व छात्राओं का जीवन बर्बाद हो जाता है, कई छात्रों/छात्राओं द्वारा रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या भी की गई है, कई छात्र मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और कई छात्रों को रैगिंग के दौरान ऐसी चोटें आ जाता हैं, जिनसे उनका भविष्य पूर्णतः बिगड़ जाता है। इस प्रकार से कुछ विद्यालय व महाविद्यालयों में कुछ उद्दण्ड छात्रों के द्वारा रैगिंग किये जाने से कई छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो जाता है।

रैगिंग एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है जो शब्दों द्वारा या लिखित में किया जाये । जिससे किसी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करने उसके साथ अभद्रता करने या ऐसा करने से वह शारीरिक या मानसिक रूप से कुंठा ग्रसित हो जाये और एक भय का वातावरण निर्मित हो। किसी विद्यार्थी को ऐसा कृत्य करने के लिये प्रेरित करना, विवश करना जिसमें लज्जा महसूस होती है और ऐसी गतिविधियों से जूनियर छात्रों से शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे कृत्य जिनमें पैसों की मांग करना या पैसों को खर्च करने के लिये बाध्य करना, यौन उत्पीड़न करना, नग्न करना, जिससे की जूनियर विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे सभी कृत्य रैगिंग की श्रेणी में आते हैं।

रैगिंग विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिये उत्पन्न की गयी एक ऐसी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरुप युवा अवस्था में ही विद्यार्थी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त किया जाना आवश्यक है। रैगिंग जैसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त करने और आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, राघवन समिति की अनुशंसाएं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम लागू किये गये हैं।

उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना, किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुषप्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना । इस अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना, घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित कराना इस समिति का मुख्य उद्देश्य है।

एन्टी रैगिंग समिति
2015-16

शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय,जबलपुर

रैगिंग संबंधी सूचना 2015-16

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में और उसके बाहर रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। रैगिंग अवैध, अमानवीय एवं दण्डनीय है।

रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते है।

* रैगिंग हेतु उकसाना।
* रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
* रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
* रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
* रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
* शरीर को चोट पहुँचाना।
* गलत ढंग से रोकना।
* आपराधिक बल प्रयोग।
* प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
* बलात् ग्रहण।
* आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
* सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
* आपराधिक धमकी।
* मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपयुर्क्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
* उपयुर्क्त में से कोई अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
* शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
* रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग संबंधी घटना महाविद्यालय की रैगिंग उन्मूलन समिति के पास दर्ज करायें।

आदेशानुसार
प्राचार्य

रैगिंग उन्मूलन समिति

रैगिंग को रोकने के लिए एलर्ट हो गए कॉलेज, भरवाए जा रहे वचनपत्र

रेडी फॉर रैगिंग फ्री कैम्पस

सिटी रिपोर्टर

जबलपुर. मूवीज में रैगिंग के किस्से आपने खूब देखे होंगे, लेकिन शहर के कॉलेज में अगर आप रैगिंग करते पाए गए तो खैर नहीं। शहर के कॉलेजों ने रैगिंग को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर आप कॉलेज में सीनियर बन गए हैं तो ये सोच लीजिए कि जूनियर्स का उनकी सहमति के बिना नाम-पता पूछना भी आपको भारी पड़ सकता है। आइये जानते हैं रैगिंग फ्री कैम्पस बनाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं।

ये होती रैगिंग

- [illegible]
- शारीरिक उत्पीड़न
- अनुचित व्यवहार
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

कैम्पस में होगी नजर

सभी कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी के अलावा कुछ प्रोफेसर्स की टीम भी बना दी गई है, जिनकी कैम्पस में नजर होगी। कहीं पर रैगिंग जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, इस पर नजर रखेंगे।

हर जगह लगे हैं बोर्ड

रैगिंग के नियमों की विस्तृत जानकारी देने के लिए कॉलेज में जगह-जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को रैगिंग के नियमों के बारे में पता हो। रैगिंग के अंतर्गत क्या-क्या स्थितियां शामिल होती हैं।

टोल फ्री नंबर भी दिए

[illegible]

बन गई एंटी रैगिंग कमेटी

शहर के लगभग सभी कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी बना दी गई है। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कॉलेज का प्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कहीं रैगिंग का मामला होने पर यह कमेटी उसकी जांच करती है। हर कॉलेज में इस कमेटी के मेम्बर्स भी तैयार हो गए हैं।

वचनपत्र भरवाए जा रहे

स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद रैगिंग जैसे अपराध में लिप्त पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन और पुलिस उन पर एक्शन लेगा। इस तरह का वचन स्टूडेंट्स से एडमिशन के दौरान भरवाए जा रहे हैं। इस बार शासन व यूजीसी के निर्देशानुसार कुछ कॉलेजों में पेरेन्ट्स से भी वचनपत्र पर सिग्नेचर ले रहे हैं।

मानकुंवर बाई कॉलेज में मैत्री दिवस समारोह आयोजित

जूनियर्स को दिया रक्षा का वचन

जस्ट रिपोर्टर @ जबलपुर

मानकुंवर बाई कॉलेज में शुक्रवार को मैत्री दिवस समारोह आयोजित किया गया। कैम्पस को रैगिंग मुक्त बनाते हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उपस्थित हुईं। समारोह में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच की खाई को पाटते हुए सीनियर्स ने जूनियर्स की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जूनियर्स की मदद और रक्षा का संकल्प लेते हुए सीनियर्स ने जूनियर्स की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर हर जूनियर्स का मुंह मीठा कराया।

समारोह की मुख्य अतिथि डॉ. चित्रलेखा चौहान ने स्टूडेंट्स को सम्बोधित करते हुए आपस में मिलकर समस्याओं का निराकरण करने और कॉलेज को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही। जूनियर स्टूडेंट्स के मन से रैगिंग का भय दूर करने और कैम्पस के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने की मंशा से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा इस सत्र से प्रारम्भ की गई मैत्री दिवस योजना की सराहना की। विवि ने सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से मैत्री दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मैत्री दिवस समारोह के लिए प्रत्येक कॉलेज को एक हजार रुपए दिया गया है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्चशिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एमके मिश्रा उपस्थित थे।

जूनियर को रक्षा सूत्र बांधती सीनियर स्टूडेंट।

हर स्टूडेंट्स को एक पौधा

कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा पर्यावरण चेतना लाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सीनियर्स ने जूनियर को एक-एक पौधा उपहार में दिया। पौधे के रख-रखाव का संकल्प करवाया। प्रिंसिपल डॉ. अनुपमा नागुले, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कल्पना गुप्ता, रश्मि उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी ममता शर्मा, रवि चौबे उपस्थित थे।

व्याख्यान माला आज

कॉलेज के रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान शनिवार सुबह 11 बजे से साम्प्रदायिक सद्भाव व मानव अधिकार विषय पर व्याख्यान माला आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का भी शुभारम्भ होगा।

छात्राओं को मिली जानकारी

जबलपुर । शासकीय मानकुंवरबाई महाविद्यालय में नवागत छात्राओं के लिए आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जारी विज्ञप्तिनुसार कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. अनुपमा गांगुली ने की। महाविद्यालय की आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. आभा पाण्डेय ने इस उन्मुखीकरण आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉ. गांगुली ने कहा कि हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक आपके हित के लिए कटिबद्ध हैं। डॉ. शिखा गुप्ता, डॉ. कल्पना गुप्ता, डॉ. अजय गुप्ता, डॉ. सपना चावला ने छात्रों को निर्देशित किया। युवा महोत्सव प्रभारी डॉ. सुलेखा मिश्रा ने युवा उत्सव संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। डॉ. इनागरे, डॉ. ममता शर्मा, डॉ. शुभांगी थगट, डॉ. किरण शुक्ला एवं डॉ. कामना श्रीवास्तव छात्राओं को संबोधित किया। इस मौके पर प्रकोष्ठ सहायक डॉ. मधुबाला शर्मा, डॉ. ऊषा केली, डॉ. स्मृति, डॉ. अरुणा, डॉ. अरुण मिश्र का सहयोग रहा। (ब्यूरो)

प्रो. एच. देवराज
उपाध्यक्ष
Prof. H. Devaraj
Vice-Chairman

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Co/ 1272
Date 17-2-16

RN-64/CC/16/38
16

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष Phone : कार्यालय Off : 011-23239143, 23214464
फैक्स Fax : 011-23230406, e-mail : ugcvc@gmail.com

BY SPEED POST

D.O. No 1-1-15/2015 (ARC)

10 FEB 2016
February, 2016

Dear Shri Desa,

In pursuance of the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009), the University Grants Commission framed "UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009" which were notified on 17th June, 2009 and are to be mandatorily followed by all universities and colleges. The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. A nationwide toll free anti-ragging helpline 1800-180-5522 in 12 languages has also been established which can be accessed by students in distress due to ragging. Ragging is a crime and top most priority has to be accorded to stop it immediately. The Commission has made it mandatory for all institutions to incorporate in their prospectus the directions of the Government regarding prohibition and consequences of ragging.

I am enclosing for your perusal, a state wise list consisting of the number of cases of ragging reported from various states in last 7 years. I would like to express my concern on the fact that the number of ragging cases reported from your state is quite high. This is not acceptable & is adversely affecting the higher education system of the country.

Earlier Secretary, UGC had also written a letter of even no. dated 28th July, 2015, but till date no response has been received from your side. Once again, May I request for your kind intervention in the matter to ensure that the concern is addressed in a time bound manner & the state becomes a "Ragging Free State" at the earliest.

With warm regards.

Yours sincerely,

H Devaraj

(Prof. H Devaraj)

PS, Hr. Edu.
16 FEB 2016

Shri Anthony J. C. Desa
Chief Secretary
Government of Madhya Pradesh
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal-462004

एन्टी रैगिंग समिति
2016–17

मानकुंवर बाई कॉलेज में मैत्री दिवस

दिया मित्रता का संदेश

जबलपुर (मेट्रो डेस्क)। दोस्ती एक ऐसा जज्बा है जो पराये को अपना बना देता है। जिससे कभी मुलाकात भी न हुई हो कुछ दिनों की दोस्ती उसे हमारे बहुत करीब ला देती है। इतना ही नहीं, दोस्ती में इतनी शक्ति है कि उसे मूक भी समझते हैं। दोस्ती के इसी रिश्ते को कायम रखने के लिए मानकुंवर बाई कॉलेज के एनएसएस एवं रैगिंग उन्मूलन विभाग द्वारा मैत्री दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालय परिवार में नवागत छात्राओं के लिए मित्रतापूर्ण व्यवहार देना और साथ ही पौधों के साथ भी मित्रतापूर्वक विश्वास करना सिखाना था।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त [illegible] उच्च शिक्षा डॉ. [illegible] सिंह, विशिष्ट अतिथि होमसाइंस कॉलेज की प्राचार्य डॉ. [illegible] चौहान, अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. [illegible] उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम का प्रारंभ एनएसएस एवं एनसीसी के तत्वावधान में आयोजित पौधारोपण से किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने पौधा रोपकर पौधों को अपना दोस्त बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में दीपप्रज्वलन के पश्चात अतिथियों का स्वागत हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया।

जागे सहयोग की भावना

महाविद्यालय की सीनियर छात्रा सुमन ने बताया कि मित्रता दिवस से हमारे और जूनियर्स के बीच का प्रेम स्थापित होता है। दोनों के बीच एक-दूसरे का सहयोग करने की भावना जागृत होती है और ऐसे ही माहौल में कॉलेज का सही आनंद आता है।

तिलक लगाकर किया स्वागत

महाविद्यालय की सीनियर छात्राओं ने नवागत छात्राओं का भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर और फ्रेंडशिप बैंड बांधकर स्वागत किया। जूनियर्स ने भी [illegible] देकर [illegible] में स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन [illegible] ने किया।

आयोजन को सफल बनाने में [illegible] डॉ. कृष्णा शर्मा, [illegible] पुष्पेन्द्र सिंह ठाकुर, डॉ. [illegible] चौबे, [illegible] शर्मा, डॉ. कल्पना गुप्ता, डॉ. [illegible] एवं डॉ. [illegible] का सहयोग

	[illegible]	B.A. I st Sem	
15)	Sonam Chakravarti	B.A I st Sem	9752122740
16)	Beenu gupta	B.A. I st Sem	9300588616
17	Sangeeta Bairagee	B.A. I st Sem	9977009625
18)	Pratibha Patel	B.A. I st Sem	9827884817
19)	Varsha chudun	B.A. I Sem	9200806525
20)	Rekha mishra	B.A. I Sem	9691863925
21)	Sushma singh	B.A. I Sem	9303145980
22)	Nidhi Jaiswal	B.A. I Sem	9669608175
23).	Darshi Babele	B.A. I Sem	9098227768
		B.A. I st Sem	9589846927

মৈত্রী-দিবস

एन्टी रैगिंग समिति
2017-18

हम सब बराबर
बराबर हमारे अधिकार

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028

वेबसाइट : www.mphrc.nic.in

ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in

मध्यप्रदेश माध्यम/2015

रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

संदेश

रैगिंग विद्यालय व महाविद्यालयों में बढ़ रही अनुशासनहीनता का स्वरूप है, यह एक मानसिक विकृति भी है, जिस कारण से प्रतिवर्ष स्कूलों और महाविद्यालयों में कई छात्रों व छात्राओं का जीवन बर्बाद हो जाता है, कई छात्रों/छात्राओं द्वारा रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या भी की गई है, कई छात्र मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और कई छात्रों को रैगिंग के दौरान ऐसी चोटें आ जाती है, जिनसे उनका भविष्य पूर्णतः बिगड़ जाता है। इस प्रकार से कुछ विद्यालय व महाविद्यालयों में कुछ उद्दण्ड छात्रों के द्वारा रैगिंग किये जाने से कई छात्रों/छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो जाता है।

यह प्रवृति समाज के लिये, छात्रों के लिये व उन माता-पिताओं के लिये अत्यंत घातक है, जिनके बच्चों को इस अमानवीय व आपराधिक गतिविधि से गुजरना पडता है। रैगिंग की यह प्रवृति बढ़ने का मुख्य कारण स्कूलों व महाविद्यालयों के प्रबंधनों द्वारा अपने संस्थानों की प्रतिष्ठा खराब न हो इसके लिये रैगिंग की घटनाओं को छुपा लिया जाता है। इस प्रकार विद्यालय व महाविद्यालयों के प्राचार्य व एन्टी रैगिंग कमेटी के सदस्यगण बढ़ रही रैगिंग की घटनाओं के लिये भी जिम्मेदार हैं। अगर वे सूचना मिलते ही कार्यवाही करें तो उन विद्यालयों/महाविद्यालयों में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। रैगिंग जैसे कृत्य को नये सत्रों में स्कूलों और महाविद्यालयों के खुलने के साथ ही नियंत्रण में रखा जाये तो उस पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है व ऐसी गतिविधियां करने वाले छात्रों के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाये।

विद्यालय व महाविद्यालय के प्रबंधन की रैगिंग रोकने की मुख्य भूमिका है। सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि रैगिंग होने पर वे स्वयं ऐसे छात्र/छात्राओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करें। अगर वे रैगिंग की घटनाओं को छिपाते हैं तो वे भी दुष्प्रेरण के अपराध के आरोपी बन सकते हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग विभिन्न विद्यालय व महाविद्यालयों से प्राप्त रैगिंग की सूचनाओं पर चिंतित हैं। इसलिये सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों को थानों को यह बुकलेट भेजी जा रही है जिससे वे रैगिंग की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करके छात्रों/छात्राओं के जीवन को रैगिंग के कारण अंधकारमय होने से बचा सकें।

हस्ता-

डॉ. वीरेन्द्र मोहन कंवर

कार्यवाहक अध्यक्ष

E_mail - hegmkbaccjab@mp.gov.in
Fax : 0761-4003290
कार्यालय प्राचार्य
Phone : 2401300 (O)
शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)
नैक द्वारा प्रदत्त ग्रेड – A

जबलपुर, दिनांक 28/11/2017

रैगिंग उन्मुलन समिति 2017
प्रतिवेदन

सत्र 2017 के लिये प्राचार्य द्वारा दिनांक 15.09.2017 को रैगिंग उन्मूलन समिति का गठन किया गया। समिति का गठन निम्नानुसार है :–

1. डॉ. श्रीमती शिखा गुप्ता – संयोजक
2. डॉ. सुषमा मेहरा – सदस्य
3. डॉ. विनीता महोबिया – सदस्य

रैगिंग उन्मूलन समिति की आवश्यक बैठक प्राचार्य महोदय के संरक्षण में दिनांक 16.09.2017 को 03:00 बजे एवं 30.08.2017 को 03:00 बजे संयोजक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। शासन के पत्र क्र 1656/729/2017 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2017 के पालन हेतु एक समिति का गठन किया गया जो महाविद्यालय के पत्र क्र. 641 दिनांक 02.09.2017 के अनुसार संलग्न है । (प्रतिलिपि)

अन्य निर्णय –

1. समिति के द्वारा सूचना पटल एवं बैनर चस्पा किया गया है। जिसमें रैगिंग संबंधी सूचनाएँ एवं निर्देश अंकित किये गये हैं।
2. रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिये समिति सदस्य समयानुसार भ्रमण करेंगे तथा छात्राओं की गतिविधि पर दृष्टिपात रखेंगे।
3. सूचना पटल पर समिति सदस्यों के दूरभाष नम्बर अंकित किये गये हैं।
4. रैगिंग की शिकायत मिलने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने का प्रावधान है।

संयोजक

प्राचार्य

Principal
Govt. Auto... M.K.B. Arts Comm... College ... Women, Jabalpur

E. mail : hegmkbaacojab@mp.gov.in
Fax : 0761-4003200

Phone : 2401300 (O)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय

जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक 28/11 .2017

रैगिंग उन्मूलन समिति (2017)

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग को रोकने के संबंध में।

1) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 1656/729/2017/38-2 दिनांक 28.08.2017

2) प्राचाय शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय जबलपुर का पत्र क्र. 641 दिनांक 12.09.2017

संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक संस्थान रैगिंग पर नियंत्रण हेतु निम्न समिति गठित की गई है

रैगिंग निरोधक समिति :-

1. प्राचार्य – डॉ. गीता श्रीवास्तव
   अध्यक्ष – शासकीय मानकुंवरबाई स्वशासी
   महिला महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.
2. जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि –
3. पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत सदस्य –
4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया प्रतिनिधि –
   सह संपादक – पंकज तिवारी (नई दुनिया) जबलपुर (म.प्र.)
5. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक –
   1) डॉ. शिखा गुप्ता, प्राध्यापक
   2)श्रीमती सुषमा मेहरा, सहा. प्राध्या.
   3) डॉ. विनीता महोबिया, सह प्राध्या.

E mail : hegmkbaacjab@mp.gov.in
Fax : 0761-4003298
Phone : 2401300 (O)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक 28/11.2017

रैगिंग उन्मूलन समिति (2017)

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग को रोकने के संबंध में।

1) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 1656/729/2017/38–2 दिनांक 28.08.2017

2) प्राचाय शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय जबलपुर का पत्र क्र. 641 दिनांक 12.09.2017

संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक संस्थान रैगिंग पर नियंत्रण हेतु निम्न समिति गठित की गई है

रैगिंग निरोधक समिति :–

1. प्राचार्य – डॉ. गीता श्रीवास्तव
   अध्यक्ष – शासकीय मानकुंवरबाई स्वशासी
   महिला महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.
2. जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि –
3. पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत सदस्य –
4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया प्रतिनिधि –
   सह संपादक – पंकज तिवारी (नई दुनिया) जबलपुर (म.प्र.)
5. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक –
   1) डॉ. शिखा गुप्ता, प्राध्यापक
   2) श्रीमती सुषमा मेहरा, सहा. प्राध्या.
   3) डॉ. विनीता महोबिया, सह प्राध्या.

6. अशासकीय संस्थान जो युवा वर्ग के विकास के लिये कार्य कर रहे हो

डॉ0 ध्रुवकुमार दीक्षित – मोबाईल न – 9425386224

प्रा0 समाजशास्त्र

केसरवानी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

7. पालकगण का प्रतिनिधि –

1. डॉ. नोएलदान, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र

शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर

(एम.कॉम. फाइनल)

8. वरिष्ठ विद्यार्थी (छात्रसंघ अध्यक्ष) – पदेन (कु रितु शुक्ला एम काम तृतीय सेमेस्टर

9. नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी – (1) माधवी कुशवाहा, बी0ए0 प्रथम वर्ष, कला

(2) कुमारी तन्वी जायसवाल, बी0कॉम0 प्रथम वर्ष, वाणिज्य

10.समाज सेवा संस्था –

(A) परिवार परामर्श केन्द्राध्यक्ष/सचिव –

समिति के कर्तव्य :–

1- संस्थान में रैगिंग रोकने संबंधी वातावरण निर्मित करने के लिये निर्धारण करना।

2- छात्राओं की समस्याओं पर विचारोपरांत निर्णय लेना।

3- रैगिंग निरोधक दस्ते को समय–समय पर मार्गदर्शन देना।

आपका सहयोग हमारा संबल होगा।

धन्यवाद।

संयोजक
डॉ0 शिखा गुप्ता
रैगिंग उन्मुलन समिति
मोबाइल न. – 9893336772

प्राचार्य
शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य
स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर
Principal
Govt. Autonomous ... Arts ...
College for ... Jabalpur

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक / 2017

जबलपुर, दिनांक 25/11/2017

रैगिंग संबंधी सूचना

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में और उसके बाहर रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। रैगिंग अवैध, अमानवीय एवं दण्डनीय है।

रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

- रैगिंग हेतु उकसाना।
- रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
- रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
- रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
- रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
- शरीर को चोट पहुँचाना।
- गलत ढंग से रोकना।
- आपराधिक बल प्रयोग।
- प्रहार करना, यौन संबंधी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
- बलात् ग्रहण।
- आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
- सम्पत्ति से संबंधित अपराध।
- आपराधिक धमकी।
- मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
- उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
- शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
- रैगिंग की परिभाषा से संबंधित सभी अपराध।
- रैगिंग संबंधी घटना महाविद्यालय की रैगिंग उन्मूलन समिति के पास दर्ज करायें।

आदेशानुसार प्राचार्य

रैगिंग उन्मूलन समिति
1. डॉ. श्रीमती शिखा गुप्ता
2. डॉ. श्रीमती सुषमा मेहरा
3. डॉ. विनीता महोबिया

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-1656/ /729/2017/38-2   भोपाल,दिनांक 28/8/2017

प्रति,

1 रजिस्ट्रार,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

2 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।

3. समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः-शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के रैग्यूलेशन 2009 का अनुपालन सुनिश्चित करने विषयक।

--0--

मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 08.05.2009 में दिये गये निर्देश के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,नई दिल्ली में एन्टी रैगिंग रैग्यूलेखन 2009 बनाया था। इस रैग्यूलेशन के अनुसार कार्यवाही करते हुये समस्त महाविद्यालयों एव विश्वविद्यालयों के परिसर को रैगिंग फ्री किया जाना था।

2. जिन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग से संबंधित कोई घटना हो उसकी जानकारी एन्टी रैगिंग सैल को आवश्यक रूप से दें तथा यदि कोई रैगिंग से संबंधित घटना में पुलिस कार्यवाही भी की गई हो की सूचना भी विशेष रूप से दें।

3. विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में रैगिंग किया जाना दण्डनीय अपराध है तथा इसकी सूचना नहीं देने वाले प्राधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गयी सांख्यिकी,जो इस पत्र के साथ सलग्न है से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश राज्य मे रैगिंग की स्थिति पूरे देश की तुलना में काफी गंभीर है। अतः समस्त कुलपति,प्राचार्य एवं कुल सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके

...रेसार में रैगिंग की घटना न हो और "रैगिंग फ्री स्टेट" बनाये जाने के अपने स्तर से सुदृढ प्रयास किये जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग

पृ0कमांक 1657/729/2017/38-2 भोपाल दिनांक 28/8/17

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र) के पत्र कमांक 7-104/2017/1/माअप्र दिनांक 11/07/2017.
2. म0प्र0 मानव अधिकार आयोग भोपाल के पत्र कमांक 16603/माअआ/अनु./7275/इंदौर/16 दिनांक 30.06.2017
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. संधू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAI ,M, FFIMS, FAMS
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

By Speed Post

July, 2015

D.O. No. F.1-15/2015 (ARC)

28 ... 15

Dear Sir/Madam,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009), the University Grants Commission framed "UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009" which were notified on 17th June, 2009 and are to be mandatorily followed by all universities and colleges. The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. A nationwide toll free anti-ragging helpline 1800-180-5522 in 12 languages has also been established which can be accessed by students in distress due to ragging. Ragging is a crime and top most priority has to be accorded to stop it immediately. The Commission has made it mandatory for all institutions to incorporate in their prospectus the directions of the Government regarding prohibition and consequences of ragging.

I am enclosing for your perusal, a state wise list consisting of the number of cases of ragging reported from various states in last 7 years. I would like to express my concern on the fact that the number of ragging cases reported from your state is quite high. This is not acceptable & is adversely affecting the higher education system of the country. May I request for your kind intervention in the matter to ensure that the concern is addressed in a time bound manner & the state becomes a "Ragging Free State" at the earliest.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

The Chief Secretary & Education Secretary
10 States where no. of ragging incidents is more than 100
(List Attached)

Copy to:-

The Joint Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi-110 115.

(18

KN-69/cc/16/38
16

प्रो. एच. देवराज
उपाध्यक्ष
Prof. H. Devaraj
Vice-Chairman

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Co/ 1272
Date 17-2-16

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone: Off: 011-2323[illegible], 23234[illegible], 23214[illegible]
Fax: 011-23230[illegible], e-mail: [illegible]@gmail.com

BY SPEED POST

10 FEB 2016
February, 2016

D.O. No. F.1-15/2015 (ARC)

Dear Shri Desa,

In pursuance of the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the University Grants Commission framed "UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009" which were notified on 17th June, 2009 and are to be mandatorily followed by all universities and colleges. The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. A nationwide toll free anti-ragging helpline 1800-180-5522 in 12 languages has also been established which can be accessed by students in distress due to ragging. Ragging is a crime and top most priority has to be accorded to stop it immediately. The Commission has made it mandatory for all institutions to incorporate in their prospectus the directions of the Government regarding prohibition and consequences of ragging.

I am enclosing for your perusal, a state wise list consisting of the number of cases of ragging reported from various states in last 7 years. I would like to express my concern on the fact that the number of ragging cases reported from your state is quite high. This is not acceptable & is adversely affecting the higher education system of the country.

Earlier Secretary, UGC had also written a letter of even no. dated 28th July, 2015, but till date no response has been received from your side. Once again, May I request for your kind intervention in the matter to ensure that the concern is addressed in a time bound manner & the state becomes a "Ragging Free State" at the earliest.

With warm regards,

Yours sincerely,

H Devaraj
(Prof. H. Devaraj)

PS, HE Edu.
16 FEB 2016

Shri Anthony J. C. Desa
Chief Secretary
Government of Madhya Pradesh
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal-462004

17 FEB 2016 DS(7)

DS(7)

AC
18/2/2016

CC
[illegible]

एन्टी रैगिंग समिति
2018-19

PAGE NO
DATE 09.07.18

एन्टी रैगिंग समिति

आज दिनाँक 09.07.2018 को समय 11.30 बजे सभा कक्ष में छात्राओं को महाविद्यालय की एन्टी रैगिंग समिति द्वारा एक व्याख्यान दिया गया। समिति की संयोजक डॉ. साधना वर्मा द्वारा समिति के सदस्यों का परिचय छात्राओं से करवाया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग उन्मूलन हेतु सत्र 2018-19 में चार पोस्टर जो बनाये गये है उनके बारे में विस्तार से समिति की सदस्य वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. पुष्पा करवाल द्वारा बताया गया। डॉ. सुषमा मेहरा ने आभार प्रदर्शन किया एवं डॉ. विनीता महोबिया ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

(1) डॉ साधना वर्मा (संयोजक) — [signature] 9.7.18
(2) डॉ पुष्पा करवाल (सदस्य) — [signature] 09/07/18
(3) डॉ. सुषमा मेहरा (सदस्य) — [signature] 09.7.18
(4) डॉ विनीता महोबिया (सदस्य) — [signature] 9.7.18

दैनिक भास्कर
11/07/2018

city भास्कर

सिटी ACTIVITY

छात्राओं का आत्मविश्वास जगाने मिलेगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, महिला उन्नयन प्रकोष्ठ के माध्यम से स्टूडेंट्स करेंगी अधिकारियों से सीधा संवाद

एंटी रैगिंग कमेटी करेगी सुरक्षा कम्प्लेंट बॉक्स से मिलेगी हैल्प

सिटी रिपोर्टर | जबलपुर

कॉलेज कैंपस, जहां छात्राएं पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं, कॉलेज में जहां पढ़ाई का स्तर अच्छा होना चाहिए, तो वहीं समय बिताने के लिए माहौल भी अच्छा होना चाहिए, जहां छात्राएं स्वतंत्र रूप से कैंपस में घूम सकें, उन्हें कोई परेशानी होने पर वे अपनी बात रख सकें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सभी शासकीय महाविद्यालयों में महिला उन्नयन प्रकोष्ठ शाखाएं संचालित की जा रही हैं। सत्र के शुरू होने से पहले हर साल इन प्रकोष्ठों को अपडेट किया जाता है। इस साल भी कॉलेजों ने तैयारियां कर ली हैं।

सर्वांगीण विकास के लिए स्थापना

मानकुंवर बाई कॉलेज की प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. [illegible] ने बताया कि इस प्रकोष्ठ को छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से छात्राओं को महिलाओं के हित में बनी शासन की योजनाओं की जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। छात्राओं के स्वास्थ्य एवं मनोपरामर्श का भी ध्यान रखा जाता है। पी-5

प्रकोष्ठ की जानकारी लेती हुई दीपमाला, लक्ष्मी और अनीता।

काउंसलिंग से हो रही छात्राओं की सहायता

कॉलेज में इस प्रकोष्ठ के माध्यम से छात्राओं की काउंसलिंग की जाती है। इसके कोर्स से कई समस्याओं का निदान काउंसलर्स करते हैं। छात्राओं ने बताया कि अगर वे किसी समस्या से ग्रसित हैं, परिवार में किसी प्रकार का टेंशन चल रहा है, तो छात्राएं काउंसलर्स की मदद से अपनी समस्याओं का निदान करती हैं।

छात्राओं से होता सीधा संवाद

कॉलेज में बीच-बीच में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसी बड़े पद पर आसीन महिला को बुलाया जाता है। छात्राएं उनसे सीधा संवाद करके कैरियर के संबंध में या अन्य जानकारियां हासिल करती हैं।

आत्मविश्वास जगाना, निर्भीक बनाना

छात्राओं का आत्मविश्वास जगाने के लिए कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाता है। व्यक्तित्व विकास की कक्षाओं में छात्राओं को प्रेरणादायी जानकारियां दी जाती हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

प्रश्नमंच और रचनात्मक लेखन

छात्राओं के अंदर कॉन्फिडेंस जागृत करने कॉलेजों में प्रश्नमंच और रचनात्मक लेखन का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से छात्राएं निर्भीक होकर प्रश्नों के जवाब दे सकेंगी। प्रश्नमंच में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न किए जाते हैं, ताकि छात्राएं खुलकर बोलें। पी-5

बनाई गई है कमेटी

प्रकोष्ठ सदस्य डॉ. [illegible] ने बताया कि कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं हैं। अगर छात्राओं को कॉलेज में किसी प्रकार की समस्या या परेशानी है, तो वे कमेटी से शिकायत कर सकती हैं। इसी के साथ एक आंतरिक परिवाद समिति भी है, इसके अंतर्गत छात्राओं के साथ यदि कैंपस में किसी प्रकार का शोषण होता है, तो वे शिकायत कर सकती हैं।

शिकायत पेटी में डाल सकती हैं लैटर

छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या है और वे उसे जुबां से कह नहीं पा रही हैं, तो छात्राएं एक लैटर में समस्या लिखकर कॉलेज में रखी शिकायत पेटी में डाल सकती हैं। शिकायत को पहले कमेटी देखती है फिर कॉलेज की प्राचार्य की देखरेख में समस्या का निदान होता है।

काउंसलिंग से मिलती मदद

कॉलेज में इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हमें काउंसलिंग की मदद मिल जाती है। शिक्षा, परिवार या अन्य किसी चीज में कोई समस्या है, तो बेहतर मार्गदर्शन मिल जाता है। [illegible] विश्वकर्मा, स्टूडेंट

होता है तनाव कम

जब भी किसी [illegible] तनाव हो जाता है [illegible] प्रकोष्ठ का सहारा लेती हैं [illegible] साथ यहां महिलाओं की सुरक्षा [illegible] सभी बातों का ध्यान रखा जा[illegible]
अंजली सोनी, स्टूडेंट

नई दुनिया 13/07/2018

एंटी रैगिंग कमेटी ने छात्राओं को किया जागरूक

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। शासकीय मानकुंवर बाई कॉलेज में सत्र 2018-19 में प्राचार्य डॉ.गीता श्रीवास्तव के निर्देशन में रैगिंग कमेटी द्वारा छात्राओं को एंटी रैगिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग पर रोकथाम लगाने के लिए चार पोस्टर इस वर्ष जारी किए गए है। उनके बारे में विस्तारपूर्वक समिति की सदस्य डॉ.पुष्पा करवाल द्वारा जानकारी प्रदान की गई। समिति की संयोजक डॉ.साधना वर्मा ने छात्राओं को रैगिंग के भय से मुक्त रहकर अध्ययन करने पर जोर दिया। डॉ. सुषमा मेहरा ने छात्राओं को अनुशासित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने पर आभार व्यक्त किया व डॉ.विनीता महोबिया ने समिति के सदस्यों के साथ उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया।

पालन प्रतिवेदन

03/08/2018.

दिनांक 31/07/2018 की बैठक में ~~सह~~ ~~नि०~~ सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. IQAC द्वारा आहूत प्रवेश उत्सव में संयोजक एवं सदस्यों द्वारा 'एन्टी रैगिंग' समिति के तहत छात्राओं को रैगिंग संबंधी समस्या, कानून एवं किस प्रकार बचाव किया जा सकता है इस बारे में जानकारी प्रदान की जानी है।

2. प्रवेश उत्सव के तहत 'एन्टी रैगिंग समिति' द्वारा 'मित्रता - दिवस' मनाने का निर्णय लिया गया। जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ छात्राओं द्वारा बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.कॉम प्रथम वर्ष की छात्राओं को रोली-चंदन लगाकर एवं 'मित्रता बैंड' बांधकर स्वागत किया जायेगा।

3. एन्टी रैगिंग समिति के सदस्यों के Contt. No. निर्धारित स्थानों पर Display किये जायेंगे ताकि छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

इस प्रकार ~~कि~~ इन निर्णयों के साथ सौहार्द पूर्ण वातावरण में बैठक का समापन हुआ।

डॉ. पुष्पा करवाल — Karwal 31/7/18

डॉ. विनीता मटोलिया — [signature]

डॉ. सुषमा मेहरा — S.S. Mehra 31.07.18

[signature] 3/08/18.
डॉ. साधना वर्मा
संयोजक
एन्टी रैगिंग समिति

दैनिक भास्कर 03-08-2018

मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय में उन्मुखीकरण कार्यक्रम, छात्राओं को दी स्नेह सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की जानकारी

फिल्मों से किया स्वच्छता के लिए अवेयर

सिटी रिपोर्टर | जबलपुर

जहां एक ओर नवप्रवेशित छात्राओं ने नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दीं, तो वहीं दूसरी ओर स्वरचित कविताएं सुनाकर दर्शकों का मन मोहा। अवसर था शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वस्ति प्रकोष्ठ के तत्वावधान में उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं प्रवेशोत्सव का, जिसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव ने की।

कार्यक्रम का दिया परिचय... | इस अवसर पर डॉ. जेके गुजराल, डॉ. नीना उपाध्याय एवं डॉ. अर्चना देवलिया ने उन्मुखीकरण कार्यक्रम का परिचय दिया। कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों जैसे आई क्यू ए सी, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ, युवा महोत्सव, छात्र सेवा सुझाव, स्नेह सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रवेशोत्सव समारोह को सेलिब्रेट करते हुए प्रथम वर्ष की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्वच्छता अभियान, [illegible], पर्यावरण संरक्षण पर यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार संक्षिप्त फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समस्त प्राध्यापकों एवं छात्राओं की उपस्थिति रही। संचालन डॉ. नीना उपाध्याय एवं आभार प्रदर्शन डॉ. सुषमा मेहता ने किया। पी-6

भास्कर - 2-8-18

रैगिंग - उन्मूलन समिति

शून्य कक्षाओं में रैगिंग संबंधी जानकारी देते हुए

डॉ. विनीता [illegible], डॉ. सुषमा मेहरा, डॉ. पुष्पा [illegible]

डॉ. साधना वर्मा (संयोजक) डॉ. [illegible] मिश्रा

27-9-2018

आंखें और दिमाग दोनों खुले रखें ताकि अपराधों से खुद को बचा सकें

शास. मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय में व्याख्यान

सिटी रिपोर्टर, जबलपुर। विद्यार्थी रैगिंग के मतलब को समझें। रैगिंग करना क्यों अपराध की श्रेणी में आता है, रैगिंग से बचने के लिए खुद को सतर्क रखने की जरूरत है। इसी तरह की खास जानकारी शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय व्याख्यान में छात्राओं को दी गई। महाविद्यालय की एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाने के लिए यह व्याख्यान रखा गया। मुख्य वक्ता मदन महल थाना प्रभारी रत्नाकर हिंग्वे रहे, उन्होंने महिला सुरक्षा से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं की जानकारियां छात्राओं को प्रदान कीं और कहा कि अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है, इसके लिए आंखों को खुला रखें और दिमाग का इस्तेमाल करें, साथ ही घरेलू हिंसा, मानव तस्करी जैसे अपराधों को बढ़ावा न दें, बल्कि सतर्क रहें। आर-1

रैगिंग होने पर चुप न रहें...-कुछ ऐसी छात्राएं होती हैं, जिनके साथ रैगिंग होती रहती है और वे डर की वजह से चुप रहती हैं। ऐसी छात्राओं को चुप्पी तोड़कर अपने टीचर्स और पैरेंट्स को बात बतानी चाहिए। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव ने बताया कि सभी कॉलेजेस में एंटी रैगिंग समिति बनाई गई है, जहां पर वे शिकायत कर सकती हैं। इस अवसर पर एंटी रैगिंग समिति की संयोजक डॉ. साधना वर्मा, डॉ. पुष्पा करवाल आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। संचालन डॉ. सुषमा मेहरा और आभार प्रदर्शन डॉ. विनीता महोबिया ने किया। पी-5

महाविद्यालय - समाचार

शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर

संरक्षक
डॉ. (श्रीमती) गीता श्रीवास्तव
प्राचार्य

संपादक	**सह संपादक**
डॉ. स्मृति शुक्ल	डॉ. अर्चना देवलिया

त्रैमासिक संस्करण : माह - जुलाई, अगस्त, सितम्बर - 2018 अंक - 20

रैगिंग उन्मूलन समिति द्वारा कार्यक्रम - दिनांक 03.08.18 को महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एवं एन्टी रैगिंग समिति की संयोजक डॉ. साधना वर्मा, डॉ. पुष्पा करवाल, डॉ. सुषमा मेहरा, डॉ. विनीता महोबिया द्वारा [illegible] प्रवेशित छात्राओं एवं वरिष्ठ छात्राओं का मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं को बताया गया कि इस महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सभी नियमों की जानकारी दी गई। नव प्रवेशित छात्राओं को रोली [illegible] लगाकर मित्रता बैंड बाँधे गये। प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव ने कहा कि सभी छात्राएँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में अध्ययन [illegible]। किसी छात्रा को कभी कोई परेशानी है तो वह शिकायत पेटी में अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। मुझसे सीधे मिल सकती है [illegible] शिकायत दर्ज कर सकती है। दिनांक 26.09.18 को भी एंटी रैगिंग समिति द्वारा मदन महल थाना प्रभारी, श्री रत्नाकर हिंग्वे द्वारा महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी पर केंद्रित व्याख्यान दिया गया।

छात्राओं को मिली महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी

मानकुंवर बाई कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा व्याख्यान का आयोजन

जबलपुर। नईदुनिया रिपोर्टर

महिलाएं यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तो काफी हद तक अपराधों से बच सकती हैं। महिला सुरक्षा से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं की जानकारी छात्राओं को दी गई। अवसर था मानकुंवर बाई कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा आयोजित व्याख्यान का। जिसका आयोजन छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित कानून की जानकारी देने के लिए किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन डॉ. गीता श्रीवास्तव के निर्देशन में किया गया। संचालन डॉ. सुषमा मेहता व आभार प्रदर्शन डॉ. विनीता मालविया ने किया। आयोजन को सफल बनाने में एंटी रैगिंग समिति की संयोजक डॉ. [illegible] व डॉ. पुष्पा अग्रवाल व अन्य सदस्यों का सहयोग रहा।

मानकुंवर बाई कॉलेज में एंटी रैगिंग पर पुलिस अधिकारियों की सलाह

छात्राएं डरें नहीं, छेड़छाड़ की करें शिकायत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जबलपुर. छात्राएं रास्ते में या घर - पड़ोस में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं से डरें नहीं, बल्कि पुलिस से शिकायत करें। हमारा वादा है कि आपकी हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने वाली छात्रा का नाम गोपनीय रखा जाएगा। यदि आप खुद शिकायत करने से डरती हैं तो किसी अन्य के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये बातें बुधवार को शासकीय मानकुंवर बाई कॉलेज में एंटी रैगिंग पर आयोजित कार्यशाला के दौरान थाना प्रभारी डॉ. रत्नागर हिगवे ने कहीं।

इन नम्बर पर करें शिकायत: थाना प्रभारी हिगवे ने छात्राओं को तीन नम्बरों 100, 1090 और 1098 पर शिकायत करने के लिए कहा। प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव ने कहा, रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एंटी रैगिंग सेल सक्रिय है। यह कार्यशाला छात्राओं के लिए फायदेमंद होगी। कार्यक्रम के बीच छात्राओ ने सवाल पूछे, जिनका समाधान किया गया। इस दौरान संयोजक डॉ. साधना वर्मा, डॉ. रश्मि चौबे, डॉ. जेके गुजराल, डॉ. सुधा मेहता, पुष्पा आदि उपस्थित थीं।

पत्रिका 10/12/2018

एन्टी रैगिंग समिति - 2018

माननीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, एन्टी रैगिंग समिति की संयोजक एवं सदस्य

माननीय मुख्य अतिथि - का वक्तव्य

महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय का उद्बोधन

कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय की छात्राएँ

डॉ. पुष्पा करवाल द्वारा प्राचार्य महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत

महाविद्यालय की प्रबुद्ध आचार्यगण एवं

शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

प्रेस विज्ञप्ति

एन्टी रैगिंग कमेटी शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाने हेतू एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। मदन महल थाना प्रभारी श्री रत्नाकर हिग्वें द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं की जानकारी छात्राओं को प्रदान की गई। सारगर्भित उदबोधन से छात्राऐं लाभान्वित हुई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव के संरक्षण मे कार्यक्रम संचालित हुआ। एन्टी रैगिंग समिति की संयोजक डॉ. साधना वर्मा एवं डॉ. पुष्पा करवाल द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुषमा मेहरा एवं आभार प्रदर्शन डॉ. विनीता महोबिया द्वारा किया गया।

8/9/18

डॉ. साधना वर्मा
संयोजक
एन्टी रैगिंग कमेटी

डॉ. गीता श्रीवास्तव
प्राचार्य
शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य
स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

"एन्टी रैगिंग उन्मूलन–समिति"

दिनांक 12.10.2018

प्रतिवेदन

कार्यालय प्राचार्य शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) के शैक्षणिक सत्र (2018–19) में शैक्षेणेत्तर गतिविधियों के संचालन हेतू प्राचार्य के आदेशानुसार महाविद्यालय की छात्राओं हेतू दिनांक 09.07.2018 को रैगिंग उन्मूलन समिति द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन कर छात्राओ को एन्टी रैगिंग के संबंध में जानकारी प्रदान कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग पर रोकथाम लगाने के लिये चार्ट–पोस्टर लगाये गये।

दिनांक 03.08.2018 को एन्टी रैगिंग समिति की संयोजक डॉ. साधना वर्मा एवं समिति के सदस्यों द्वारा एन्टी रैगिंग संबंधी नियम एवं कानून से छात्राओं को अवगत कराते हुये रोली चंदन एवं मित्रता बैण्ड एक दूसरे से बन्धवा कर छात्रा मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

दिनांक 26.09.2018 को समिति द्वारा छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधित कानूनों से अवगत कराने हेतू मदन महल महिला थाना प्रभारी श्री रत्नाकर हिंग्वे का व्याख्यान आयोजित कर महिला सुरक्षा एवं भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं की जानकारी प्रदान की गयी।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव के संरक्षण में समस्त कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्राओं को रैगिंग उन्मूलन समिति के सदस्य डॉ. पुष्पा करवाल, डॉ. सुषमा मेहरा, डॉ. विनीता महोबिया द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गयी।

Received News & Photograp-01

12.10.18

12.10.18

12.10.18

डॉ. साधना वर्मा
संयोजक
एन्टी रैगिंग समिति

12.10.18

एन्टी रैगिंग समिति 2018 – 2019

पालन प्रतिवेदन

03/08/2018

दिनांक 02/08/2018 को IQAC द्वारा आयोजित प्रवेश उत्सव में एन्टी रैगिंग समिति द्वारा निम्न रूप में समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला –

1. एन्टी रैगिंग समिति की संयोजक डॉ. साधना वर्मा ने इस संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध करायी। साथ ही एन्टी रैगिंग से किस प्रकार बचा जा सकता है इसके बारे में बताया। डॉ. पुष्पा करवाल ने एन्टी रैगिंग संबंधी नियम एवं कानून के बारे में छात्राओं को अवगत कराया।

2. डॉ. सुषमा मेहरा ने छात्राओं को समिति के सदस्यों के Cont. No. उपलब्ध कराये एवं आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाये एवं तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी।

3. डॉ. सुषमा मेहरा एवं डॉ. विनीता महोबिया के कुशल दर्शन में वरिष्ठ छात्राओं ने बी.ए., बी.कॉम प्रथम की छात्राओं का रोली चंदन एवं 'मित्रता बैंड' बांधकर स्वागत किया।

इस भव्य एवं सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की कुशल एवं ओजस्वी प्राचार्य डॉ. मीना श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ जिसके हम हृदय से आभारी हैं। कार्यक्रम का समापन IQAC की संयोजक डॉ. सुधा मेहता ने आभार व्यक्त कर किया।

धन्यवाद

1. डॉ. पुष्पा करवाल [signature]
2. डॉ. सुषमा मेहरा [signature]
3. डॉ. विनीता महोबिया [signature]

[signature] 03/08/2018

डॉ. साधना वर्मा

संयोजक

एन्टी रैगिंग समिति

एन्टी रैगिंग समिति
2019-20

शासकीय मानकुंवर बाई महिला स्वशासी महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)
एन्टी-रैगिंग समिति 2019-20

पत्रिका PLUS

. 14 Bollywood . 16 जबलपुर, गुरुवार, 18.07.2019 PATRIKA.COM

छात्राओं को दी रोजगार की जानकारी

जबलपुर ● मानकुंवर कॉलेज में रोजगार के अवसर पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रोजगार के अवसर की जानकारी दी। डॉ. साधना वर्मा ने कॉलेज में उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं के साथ रैगिंग जैसी घटनाओं के विषय में प्रकाश डाला। इसके साथ इससे बचने के उपाय भी बताए। इस मौके पर डॉ. रश्मि चौबे ने भी कॉलेज गतिविधियों की जानकारी नए छात्रों को दी। संचालन डॉ. सुलेखा मिश्रा ने किया।

E_mail - hegmkbaacjab@mp.gov.in
Fax 0761-4003296

कार्यालय प्राचार्य

Phone 2401300 (O)

शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

नैक द्वारा प्रदत्त ग्रेड – A

जबलपुर, दिनांक 16.07.2019

प्रेस विज्ञप्ति

शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित की जा रही शून्य कक्षाओं में एन्टी रैगिंग समिति की सदस्य डॉ. पुष्पा करवाल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्राओं की सुरक्षा हेतु जो वेबसाईट बनाई गई है उसकी जानकारी महाविद्यालय की नवप्रवेशित छात्राओं को दी गई। महाविद्यालय प्रागंण में स्थित कैन्टीन, हॉस्टल एवं मुख्य प्रवेश द्वार में एन्टी रैगिंग के पोस्टर एवं ब्रोशर लगाये गये हैं, जिनके द्वारा छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में डॉ. साधना वर्मा, डॉ. सुषमा मेहरा एवं डॉ. विनीता महोबिया की उपस्थिति रही।

16/07/19.

डॉ. साधना वर्मा
प्रभारी
एन्टी रैगिंग समिति

डॉ. गीता श्रीवास्तव
प्राचार्य
शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य
स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

city भास्कर

JABALPUR TUESDAY, 27/08/201

लक्ष्य को ध्यान में रखकर अध्ययन करें

जबलपुर| लक्ष्य को ध्यान में रखकर एकाग्रचित होकर अध्ययन करें, शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव रखें और नियमित कक्षाओं में उपस्थित हों। उक्त विचार शासकीय मानकुंवरबाई महाविद्यालय में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. गीता श्रीवास्तव ने व्यक्त किए। अवसर था नव प्रवेशित छात्राओं के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासित प्रकोष्ठ के तत्वावधान में उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं प्रवेशोत्सव का। प्रकोष्ठ समन्वयक डॉ. सुधा मेहता के दिशा-निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। डॉ. अर्चना सिंह ने आईक्यूएसी के विभिन्न क्लबों एवं गतिविधियों की जानकारियाँ दीं। डॉ. नीना उपाध्याय ने एनएसएस व महाविद्यालयीन पत्रिका मानसी व न्यूजलैटर की जानकारी प्रदान की। डॉ. अर्चना देवलिया ने आचार संहिता व आईक्यूएसी की अन्य गतिविधियों की जानकारी, डॉ. नंदिता प्रियंवदा त्रिवेदी ने छात्र कक्ष, ब्रेललिपि व कैन्टीन आदि के बारे में बताया। द्वितीय चरण में डॉ. ब्रह्मानंद त्रिपाठी, डॉ. बलिराम अहिरवार, डॉ. साधना वर्मा, डॉ. संध्या पचौरी, डॉ. नेहा शाक्य व डॉ. ज्योति जाट ने भी

छात्राओं को विविध जानकारियाँ दीं। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. रश्मि चौबे, डॉ. जेके गुजराल, डॉ. सपना चौहान, डॉ. मनोज प्रियदर्शन आदि उपस्थित थे।पी-3

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ

Swami Vivekanand Career Guidance Cell &

30/8/19.

पालन प्रतिवेदन

दिनांक 13.7.19 को एन्टी रैगिंग समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के तहत निम्न बिंदुओं में कार्य पूर्ण किया गया।

1. शासन U.G.C. द्वारा जारी किये गये ब्रोशर, पोस्टर कैन्टीन, महाविद्यालय के गेट के पास, छात्राकक्ष एवं लाइब्रेरी के सामने चस्पा किये गये।
2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये वेब साइड की जानकारी दी गई।
3. छात्राओं को समिति के सदस्यों के मोबाइल नं. का पोस्टर चस्पा करा दिया।
4. दिनांक 17.07.2019 को स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा संचालित शून्य कक्षा के तहत एन्टी रैगिंग समिति द्वारा छात्राओं को जानकारी प्रदान की गई।

1. डॉ. पुष्पा करवाल
2. डॉ. सुषमा मेहरा
3. डॉ. विनीता महोबिया

डॉ. साधना वर्मा
संयोजक
एन्टी रैगिंग समिति

Seen